

संख्या- 38/2022/718/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल 2022

विषय: गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों के लम्बित आवेदनों के अग्रसारण एवं भारत सरकार को डाटा शेरर करने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-78-80/स०क०/शिक्षा-अ/7/76/2022-23, दिनांक-08.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों के लम्बित आवेदनों के अग्रसारण एवं भारत सरकार को डाटा शेरर करने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के क्रम में गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों के लम्बित आवेदनों के अग्रसारण एवं भारत सरकार को डाटा शेरर करने हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु समयावधि
1	2	3
1	शिक्षण संस्था स्तर पर गत वर्ष में छात्र/छात्रा के अग्रसारण हेतु लम्बित आनलाइन आवेदन को प्राप्त करने के उपरांत सत्यापित या निरस्त या अग्रसारित करना।	12 अप्रैल 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	22 अप्रैल 2022 तक
3	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण	19 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022

	किया जाना।	
4	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक
5	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	29 अप्रैल 2022 तक
6	भारत सरकार को डाटा शेयर करना।	30 अप्रैल 2022 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावतियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by ^{भवदीय} रजनीश चन्द्र

Date: 11-04-2022 18:18:49
विशेष सचिव।

पु0सं0- 38 / 2022 / 718 (1) / 26-3-2022 तददिनांक:-

Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।